

**ब्यावर-मंदसौर ट्रांसमिशन लिमिटेड**

(पावर ग्रीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की 100% पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)  
बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016

**सूचना**

(विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (2) के अंतर्गत)

1. ब्यावर-मंदसौर ट्रांसमिशन लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016 में है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निगमित है, ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (1) के अंतर्गत ट्रांसमिशन लाइनों, सब-स्टेशनों और अन्य परिसंपत्तियों के संबंध में ट्रांसमिशन लाइसेंस प्रदान करने के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष, आवेदन किया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	लाइन/सबस्टेशन का नाम (नोट के अनुसार स्थान)	बीपीसी की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार लाइन की लंबाई/क्षमता	ट्रांसमिशन शुल्क (रुपये) मिलियन प्रति वर्ष	अनुसूची सीओडी	टिप्पणियाँ
1.	ब्यावर-मंदसौर पीएस 765 केवी डी/सी लाइन	284.942 Km	1819.81	असरदार तारीख यानी 22.08.2024 से 24 महीने	
2.	ब्यावर एस/एस पर 2 नंबर 765 केवी लाइन बे	480 MVAR (SLR)			
3.	मंदसौर एस/एस पर 2 नंबर 765 केवी लाइन बे	480 MVAR (SLR)			

नोट: (1) क्रमांक 1 के लिए स्थान राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में है, जबकि क्रमांक 2 और 3 के लिए स्थान राजस्थान और मध्य प्रदेश में हैं।  
(2) पूर्ण दायरे के लिए कृपया <https://www.powergrid.in/subsidiaries> पर जाएं

2. आयोग के समक्ष दायर किया गया पूर्ण आवेदन और अन्य दस्तावेज पावर ग्रीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट <https://www.powergrid.in/subsidiaries> पर उपलब्ध हैं जिन्हें कोई भी व्यक्ति देख सकता है। आवेदन का निरीक्षण कंपनी के कार्यालय में द्वारा सी/ओ ईडी (टीबीसीबी), पावर ग्रीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सीदामिनी, प्लॉट नंबर 2, सेक्टर-29, गुडगांव 122001 में श्री जे आर यादव, परियोजना प्रभारी, ब्यावर - मंदसौर ट्रांसमिशन लिमिटेड या आयोग के कार्यालय में आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार भी किया जा सकता है।

3. आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों तो, उन्हें समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित होने के 15 दिनों के भीतर आवेदक या उसके अधिकृत एजेंट को आपत्ति/सुझाव की एक प्रति के साथ सचिव, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, 7वीं मंजिल, टावर बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली-110029 के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

स्थान: नई दिल्ली  
तारीख: 04.09.2024

श्री जे आर यादव,  
परियोजना प्रभारी,  
ब्यावर-मंदसौर ट्रांसमिशन लिमिटेड

एक महारत्न पीएसयू

### ब्यावर-मंदसौर ट्रांसमिशन लिमिटेड

(पावर ग्रीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की 100% पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)  
बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016

#### सूचना

(विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (2) के अंतर्गत)

1. ब्यावर-मंदसौर ट्रांसमिशन लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016 में है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निगमित है, ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (1) के अंतर्गत ट्रांसमिशन लाइनों, सब-स्टेशनों और अन्य परिसंपत्तियों के संबंध में ट्रांसमिशन लाइसेंस प्रदान करने के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष, आवेदन किया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	लाइन/सबस्टेशन का नाम (नोट के अनुसार स्थान)	बीपीसी की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार लाइन की लंबाई/क्षमता	ट्रांसमिशन शुल्क (रुपये) मिलियन प्रति वर्ष	अनुसूची सीओडी	टिप्पणियाँ
1.	ब्यावर-मंदसौर पीएस 765 केवी डी/सी लाइन	284.942 Km	1819.81	असरदार तारीख या-नी 22.08.2024 से 24 महीने	
2.	ब्यावर एस/एस पर 2 नंबर 765 केवी लाइन वे	480 MVAR (SLR)			
3.	मंदसौर एस/एस पर 2 नंबर 765 केवी लाइन वे	480 MVAR (SLR)			

नोट: (1) क्रमांक 1 के लिए स्थान राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में है, जबकि क्रमांक 2 और 3 के लिए स्थान राजस्थान और गध्य प्रदेश में हैं।

(2) पूर्ण दायरे के लिए कृपया <https://www.powergrid.in/subsidiaries> पर जाएं

2. आयोग के समक्ष दायर किया गया पूर्ण आवेदन और अन्य दस्तावेज पावर ग्रीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट <https://www.powergrid.in/subsidiaries> पर उपलब्ध हैं जिन्हें कोई भी व्यक्ति देख सकता है। आवेदन का निरीक्षण कंपनी के कार्यालय में द्वारा सी/ओ ईडी (टीबीसीबी), पावर ग्रीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सौदामिनी, प्लॉट नंबर 2, रोक्टर -29, गुडगांव 122001 में श्री जे आर यादव, परियोजना प्रभारी, ब्यावर - मंदसौर ट्रांसमिशन लिमिटेड या आयोग के कार्यालय में आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार भी किया जा सकता है।

3. आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों तो, उन्हें समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित होने के 15 दिनों के भीतर आवेदक या उराके अधिकृत एजेंट को आपत्ति/सुझाव की एक प्रति के साथ सचिव, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, 7वीं मंजिल, टावर बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली-110029 के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

स्थान: नई दिल्ली

तारीख: 04.09.2024

श्री जे आर यादव,

परियोजना प्रभारी,

ब्यावर-मंदसौर ट्रांसमिशन लिमिटेड

एक महारत्न पीएसयू

PG/CC/Notice(TBCB)/Advr-23/24-25 Panchiatva